राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./1670/2006/टोंक

1– ईद मोहम्मद पिसरान नाथू
2– रमजानी पिसरान नाथू
जाति मुसलमान लुहार, निवासी उनियारा, तहसील उनियारा, जिला टौंक।

.....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उनियारा, जिला टौंक।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री मदनलाल गुर्जर/श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलार्थी
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 22.01.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 88/2003 शीर्षक 'ईद मोहम्मद बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 20–09–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत घोषणा, दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद सहायक कलक्टर, उनियारा के न्यायालय में राज्य पक्ष के विरुद्ध एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम उनियारा को वादीगण अपने पिता के समय से ही काबिज हो कर काश्त करता आ रहा है और इसका लगान अदा करता आ रहा है। उक्त साबिक खसरा नम्बरान के दौराने भू प्रबन्ध नवीन खसरा नम्बर 2614 रकबा 0.78 है0 बनाए गए हैं किन्तु मुताबिक मौका शीट खसरा नम्बर 2615/3770 बने हैं एवं उक्त रकबे पर ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है जिसे भू प्रबन्ध में गलत प्रकार से सिवाय चक अंकित कर दिया गया है। वाद हेतुक दिनांक 5–8–1996 को होना अंकित करते हुये वादपत्र में अनुतोष चाहा कि घोषणा की जाये कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा नवीन खसरा नम्बर 2615/3770 है। भू प्रबन्ध में गलत प्रकार से किए गए अंकनां को दुरुस्त किया जा कर हाल सैटलमैंट की जमाबंदी के अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी कब्जे काश्त में अंकित किया जाये। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादीगण की खातेदारी की उक्त आराजी में किसी प्रकारसे मजाहमत मदाख्लत नहीं करें। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया कि साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा

जिसका 0.54 है0 बनता है जब कि वादी को भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 2614 रकबा 0.78 है0 पर खातेदारी दे दी है जो कि 0.24 है0 अधिक है। अतः इस 0.24 है0 रकबे को सिवाय चक दर्ज किया जाये। उपखण्ड अधिकारी, उनियारा ने निर्णय दिनांक 31–1–2003 से दावा वादी खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा निर्णय दिनांक 20–09–2005 से अपील को खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों के विपरीत जाते हुये निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा स्थित ग्राम उनियारा वादीगण के नाना अलाबन्दा वल्द मोहम्मद के नाम का था जिसके कोई संतान नही थी इसलिये उसने अपीलार्थी के पिता नाथू को घर जंवाई बना कर अपने पास रख लिया और नाथू के नाम वसीयतनामा कर दिया था। वसीयतनामा के आधार पर अपीलार्थी के पिता नाथू के खाते में आराजी दर्ज की गई और नाथू के बाद अपीलार्थीगण के पक्ष में ये आराजी आई है। अपीलार्थी के कब्जे काश्त की उक्त साबिक खसरा नम्बरान को सटैलमैंट की मौका शीट में खसरा नम्बर 2615/3770 रकबा 0.36 है0 दर्शाया गया है। अपीलार्थी की शेष भूमि साबिक नम्बर 1331/4 गलवा नदी में घट गई। वर्तमान शीट में नवीन खसरा नम्बर 2614 प्रदर्शित कर दिया है जब कि इस खरा नम्बर 2614 से प्रदर्शित भूमि पर अपीलार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों ने वर्तमान सैटलमैंट की शीट एवं खसरा नम्बर एवं मिलान क्षेत्रफल को गलत प्रकार से नहीं समझ कर निर्णय पारित किये हैं। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल तैयार किया गया है वह बिना मौके की स्थिति को देखते हुये किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और दावा वादी डिक्री किया जाये।

5– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अति0 राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी का साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसका रकबा 0.54 है0 बनता है जब कि वादी को भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 2614 रकबा 0.78 है0 पर खातेदारी दे दी है जो कि 0.24 है0 अधिक है। अतः यह 0.24 है0 रकबा सिवाय चक दर्ज किया जाने योग्य रहा है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रुप से तनकियात कायम की हैं और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकियात को विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है। वादी/अपीलार्थी अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं होने से अपील खारिज की जाये।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में परीक्षण में पाया जाता है कि वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है उसमें मुख्य रुप से यही उज्र लिया गया है कि साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी का रहा है जिसके दौराने भू प्रबन्ध नवीन खसरा नम्बर 2614 रकबा 0.78 है0 बनाए गए हैं किन्तु मुताबिक मौका शीट खसरा नम्बर 2615/3770 बने हैं एवं उक्त रकबे पर ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है जिसे भू प्रबन्ध में गलत प्रकार से सिवाय चक अंकित कर दिया गया है। नवीन खसरा नम्बर 2615/3770 के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से अनुतोष चाहा गया है।

8– पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2026–29 प्रदर्श–11 2034–37 प्रदर्श 12 के अनुसार इस तथ्य की तो पुष्टि होती है कि साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वादीगण के पिता नाथू की खातेदारी की भूमि रही है किन्तु वादीगण द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में कि उसकी खातेदारी के साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से खसरा नम्बर 2615/3770 कायम किया गया है, किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण को मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर इस तथ्य का साबित करना चाहिए था कि साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के दौराने भू प्रबन्ध नवीन खसरा नम्बर 2614 रकबा 0.78 है0 बनाए गए हैं और खसरा नम्बर 2615/3770 उसी की खातेदारी की भूमि का भाग है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्पष्ट है कि मुताबिक खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6 सम्वत् 2048–51 खसरा नम्बर 2615/3770 रकबा 0.36 सिवाय चक अंकित है। जमाबंदी प्रदर्श–9 सम्वत् 2048–51 खसरा नम्बर 2615/3770 रकबा 0.36 सिवाय चक बंजड अंकित है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2051 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 2615/3770 रकबा 0.36 सिवाय चक पर प्रहलाद पुत्र शंकर धोबी की बतौर अतिक्रमण काश्त के अंकन हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी/वादी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है जो कि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2051 के अंकनों से स्वतः स्पष्ट है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या–1 के निर्णय में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि वादी का उक्त भूमि पर पूर्व में किसी प्रकार का कब्जा रहा हो इसकी कहीं भी पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार तनकी संख्या–1 को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विवेचन उपरान्त विरुद्ध वादी तय किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र की पुष्टि के लिए किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि स्पष्ट हो सके कि वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से बाद में कौन से खसरा नम्बरान व कितना रकबा बनाया गया है। प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि अंकित है और राजकीय भूमि पर कब्जे के आधार पर वादीगण को किसी प्रकार का स्वत्व अर्जित नहीं होता है। राज्य पक्ष ने भी अधीस्थ परीक्षण न्यायालय में जो जबाब प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि वादी का साबिक खसरा नम्बर 1322/2, 1331/4 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसका रकबा 0.54 है0 बनता है जब कि वादी को भू प्रबन्ध में नवीन खसरा नम्बर 2614 रकबा 0.78 है0 पर खातेदारी दे दी है जो कि 0. 24 है0 अधिक है। अतः यह 0.24 है0 रकबा सिवाय चक दर्ज किया जाने योग्य रहा है। अतः इस प्रकार की स्थिति में स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये हैं और परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही तनकीवार

विवेचन करते हुये वादी के वाद को खारिज किया है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी की है। न्याय दृष्टान्त RRD 2019 Page 263 DB BOR , RBJ (23) 2016 page 482 DB BOR, RBJ (4) 1997 page 39 DB BOR, RBJ (16) 2009 page 725 DB BOR के अनुसरण में समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष